आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक १९४१से नियम १२९)

आदेश पत्रक सं0 .... से .... तक

जिला .–चतरा　　　　　　　　　　　सं0 17/2024–25.......सन् 2024–25

केस का प्रकार:–विविध वाद

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश सहित
15/10/2025	प्रस्तुत अभिलेख संख्या– 17/2024–25 का संधारण आवेदक अब्दुल रसीद एवं कल्लु मियॉ, दोनो पिता–स्व0 गफुर मियॉ, साकिन–ईटखोरी, थाना न0–45, थाना–ईटखोरी, जिला–चतरा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में आवेदित किया गया है कि मौजा ईटखोरी चट्टी, थाना न0–45, थाना–ईटखोरी, खाता न0–24, प्लॉट न0–1195 एवं 1196 रकवा क्रमशः 05 डी0 एवं 16 डी0 कुल जमा रकवा–21 डी0 भूमि मुझे दिनांक–10.03.1921 के बतौर हिब्बानामा द्वारा हासिल है। आगे आवेदित है कि नरसिंह लाल द्वारा दर रैयती खाता न0–24 वो रैयती खाता–69 जो वर्त्तमान खाता 24 कुल रकवा–21 डी0 हमारे परिवार का घर–बारी है जिसमे स्थायी रूप से रह रहा हूँ तथा अपने मश्रूफ में ला रहा हूँ। आगे आवेदित है कि कुछ लोगों के सॉठ–गॉठ से मेरे जमीन पर बाजो सोनार (बैजनाथ सोनार), पिता–स्व0 जागो सोनार के साथ अमीन सुमन राय, पिता–बासुदेव राय, ईटखोरी एवं एक और व्यक्ति जो अपने को कर्मचारी कहकर एवं मौखिक अंचल अधिकारी का आदेश बताते हुए मापी करवाने दिनांक–04.09.1924 (2024) को दिन में 02 बजे पहुॅचे तो मैने नापने से मना कर दिया। कर्मचारी हल्का 01 का नही थे। आवेदक द्वारा बाजो सोनार वो अन्य के द्वारा अवैध कब्जा किये जाने की आशंका व्यक्त करते हुए गडबडी करने एवं करवाने वालों पर कानुनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।	

आदेश की तिथी	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश सहित
5/10/2025	आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में उभय पक्ष को नोटिस निर्गत कर कागजात की मांग करें एवं संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक–04/11/25 को उपस्थापित करें। 13/11/25 अंचल अधिकारी, ईटखोरी।	
04/11/25	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित है। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत है:– • मौजा ईटखोरी, थाना न0–45, खाता न0–24, प्लॉट न0–104 वगै0 सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है। • Online खतियान में गोपाल कोईरी, पिता–डोमन कोईरी के नाम से दर्ज है। • Online में खाता 24 में 1195 एवं 1196 प्लॉट दर्ज नही है। • आवेदक अब्दुल रसीद एवं कल्लु मियॉ के द्वारा आवेदन में संलग्न Offline खतियान जो करीम बक्स वगै0 के नाम से दर्ज है एवं प्लॉट न0–1195 एवं 1196 दोनो दर्ज है संदेहात्मक है। • मौजा ईटखोरी थाना न0–45 के खाता न0–24, प्लॉट न0–1195 एवं 1196 कुल रकवा–21 डी0 भूमि का Offline लगान रसीद वर्ष–1995–96 तक करीम मियॉ के नाम से निर्गत है। उक्त भूमि जमाबन्दी रैयत को दर रैयती विविध केस न0–2/1993–94 द्वारा प्राप्त है। • मौजा ईटखोरी थाना न0–45 के खाता न0–24, प्लॉट न0–1195 एवं 1196 कुल रकवा–10½ डी0 भूमि का Online जमाबन्दी पंजी–II के पृष्ठ संख्या–34/17 पर जगदीश सोनार,	

की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई

• पिता आदो सोनार के नाम से दर्ज है। लगान रसीद वर्ष–2024–25 तक निर्गत है। उक्त भूमि जमाबन्दी रैयत को बाहुकुमनामा से प्राप्त है।

• बैजनाथ सोनार, पिता–जगदीश सेनार, ग्राम–ईटखोरी के आवेदन पर भू–मापी केश न0–05/2024–25 के आलोक में अंचल अधिकारी, ईटखोरी के आदेश ज्ञपांक–374, दिनांक–27.08.2024 आदेश के अनुसार अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक, ईटखोरी दिनांक–04.09.2024 को भू मापी करने हेतु स्थल पर पहुँचे। उक्त भूमि पर मापी के समय अब्दुल रसीद एवं कल्लु मियाँ द्वारा आपत्ति व्यक्त किया गया और कहा गया कि यह जमीन मेरा है, जो बैद्यनाथ सोनार गलत तरीके से दखल–कब्जा करना चाहता है।

• स्थल निरीक्षण किया, निरीक्षण के क्रम में पाया कि मौजा ईटखोरी थाना न0–45 के खाता न0–69, प्लॉट न0– 1196 रकवा–08 डी0 भूमि पर गुलशन खातुन, पति मनोवर मियाँ का घर बना हुआ है। शेष भूमि परती (खाली) है। उक्त भूमि जमाबन्दी रैयत को बासगीत केस न0–10/2005–06 द्वारा प्राप्त है।

उभय पक्ष का बहस सुना गया। उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कागजात निम्नवत हैः–

<u>प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित कागजात–</u>

1. Offline खतियान की प्रति जिसमे लगान पाने वाला नरसिंह लाल वगै0 खाता 69, थाना–ईटखोरी, प्रगना–चैय, मौजा–ईटखोरी न0 45, खाता–24, करीम बक्स खॉ वल्द करामत खॉ, कौम पैठान, साकिन देह, प्लॉट–1195 मकान 3 सहन 1 रकवा– 05 डी0 एवं 1196, उ0–टॉड करम मियाँ वगै0 घरबाडी, द0–टॉड हरखु सोनार, पु0 टॉड

की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई

पुनीत कोईरी, प0–टॉड हरखु सोनार, रकवा–16 डी0 दर रैयत दखलकार अंकित है।

2. दिनांक–10.03.1921 का हिब्बानामा एवं हिब्बानामा का हिन्दी रूपान्तर की प्रति।
3. करीम मियॉ के नाम से निर्गत वर्ष–1994 एवं 1996 का Offline लगान रसीद।
4. Online पंजी–II की प्रति जिसमे भाग वर्त्तमान–9 पृष्ठ संख्या–2 पर करीम बक्स खॉ, पिता–करामत खॉ के नाम खाता–24 प्लॉट न0–1195, 1196 कुल रकवा–21 डी0 अंकित है तथा परिवर्त्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में "दर रैयत वाद संख्या–2/93–94 के आधार पर दर्ज किया" अंकित है।
5. बिक्रेता मो0 कौसर आजाद, पिता–स्व0 सिकंदर खॉ द्वारा क्रेता सालेहा प्रवीण,ा पति मो0 जसीम आलम को खाता–24, प्लॉट न0–1195, रकवा–05 डी0 बिक्री की गई भूमि का केवाला संख्या–2025/CHT/1662/BK1/1633, दिनांक–28.04.2025 की प्रति।
6. सालेहा प्रवीण, पति मो0 जसीम आलम के नाम खाता–24, प्लॉट न0–1195, रकवा–05 डी0 भूमि का वर्ष–2025–26 तक निर्गत Online लगान रसीद।

द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित कागजात निम्नवत है–

1. खाता–69, प्लॉट न0–1195 एवं 1196 कुल रकवा–10.½ डी0 भूमि के हकुमनामा की प्रति।
2. Online पंजी–II की प्रति, जिसमे भाग वर्त्तमान–17, पृष्ठ सं0–34 पर जगदीश सोनार पिता–आदो सोनार के नाम खाता न0–69, प्लॉट न0–0 रकवा–10.5 डी0 अंकित है तथा परिवर्त्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में प0न0 152/4 दर्ज है।

तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
04/11/25	3. वर्ष–2024–25 तक निर्गत Online लगान रसीद की प्रति। 4. गुलशन खातुन, पति–मनोवर मियॉ, ग्राम–ईटखोरी को बासगीत वाद संख्या–10/2005–06 से खाता 69, प्लॉट न0–1196, रकवा–08 डी0 से प्राप्त बासगीत पर्चा की प्रति। 5. जगदीश सोनार पिता–आदो सोनार के नाम खाता–69 में 10½ डी0 भूमि का निर्गत Offline लगान रसीद। उभय पक्ष का बहस सुना गया। अभिलेख आदेशार्थ रखें। 4/11/25 अंचल अधिकारी, ईटखोरी।	
18/11/25	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष के द्वारा समर्पित कागजातों, बहस एवं राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से निम्नांकित तथ्य स्पष्ट है– • प्रस्तुत वाद में प्रथम पक्ष का दावा खाता–24 पर एवं द्वितीय पक्ष का दावा खाता–69 पर है। • मौजा ईटखोरी, थाना न0–45, खाता न0–24, प्लॉट न0–104 वगै0 सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है जो Online खतियान में गोपाल कोईरी, पिता–डोमन कोईरी के नाम से दर्ज है जिसमे प्लॉट न0– 1195 एवं 1196 दर्ज नही है। • राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट अंकित किया गया है कि आवेदक अब्दुल रसीद वगै0 के द्वारा समर्पित खाता–24 का Offline खतियान जिसमे प्लॉट न0–1195 एवं 1196 दर्ज है, <u>संदेहात्मक</u> है। • Offline खतियान के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खाता–69 के लगान पाने वाले रैयत नरसिंह लाल वगै0 है जिसमे खाता–24, प्लॉट–1195 एवं 1196 दर्ज है तथा करीम	

तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
8/11/2025		

बक्स वल्द करामत खॉ **दर रैयत दखलकार** के रूप में अकित किया गया है।

- प्रथम पक्ष द्वारा दर रैयत की हैसियत से भूमि हासिल होने का दावा किया गया है जबकि भूमि नामांतरित होने के बावजूद दर रैयत को भूमि बेचने, दान अथवा लीज पर देने का अधिकार नही था, क्योकि जमीन का कानुनी स्वामित्व मूल रैयत के पास होता था जो प्रश्नगत खतियान में नरसिंह लाल वगै0 है और वे खाता–69 के रैयत थे।

- प्रस्तुत वाद में द्वितीय पक्ष के द्वारा प्लॉट न0–1195 एवं 1196, खाता–69 का होने का दावा किया गया है जिसके साक्ष्य के रूप में गुलशन खातुन, पति–मनोवर मियॉ, ग्राम–ईटखोरी को बासगीत वाद संख्या–10/2005–06 से खाता 69, प्लॉट न0–1196, रकवा–08 डी0 से प्राप्त बासगीत पर्चा की प्रति समर्पित है। गुलशन खातुन, पति–मनोवर मियॉ, ग्राम–ईटखोरी को प्राप्त वासगीत पर्चा के आधार पर उनकी कायम जमाबन्दी एवं भूमि पर अवस्थित मकान को प्रथम पक्ष के द्वारा भी सही माना गया है, जो द्वितीय पक्ष के दावे को पुष्ट करता है।

उक्त के आलोक में प्रथम पक्ष (आवेदक अब्दुल रसीद एवं कल्लु मियॉ) के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। द्वितीय पक्ष द्वारा प्लॉट न0–1195 एवं 1196 कुल रकवा 10½ डी0 भूमि पर किये गये दावा में मात्र प्लॉट न0–1195 रकवा–05 डी0 भूमि पर दावा सही पाते हुए फैसला द्वितीय पक्ष बैद्यनाथ सोनार, पिता–जगदीश सोनार के पक्ष में किया जाता है।

असंतुष्ट पक्ष मामले को सक्षम न्यायालय में ले जाने के लिए स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित।

8/11/25
अंचल अधिकारी,
ईटखोरी।

8/11/25
अंचल अधिकारी,
ईटखोरी।

Digitally signed by Savita
Date: 2025.12.04 17:50:41 +05:30
Location: 10.93.137.44